झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)कोर्ट केश–12–04 / 2018 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री सुरेश राय (ID-2369) तत्कालीन कार्यपालक अभियता, सम्प्रति सेवानिवृत्त, जलपथ प्रमंडल सं॰–02, चैनपुर, गुमला के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं॰–2166 दिनांक–13.04.16 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम–43(बी॰) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसमें निम्नांकित आरोप थे :–

(i) अपरशंख जलाशय योजना के बाँयी नहर 0.20km. पर LD साइफन के Hume pipe लिकेज की मरम्मति के संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना करना।

(ii) जलपथ प्रमण्डल सं॰–01, चैनपुर के 26 तथा जलपथ प्रमण्डल सं॰–02, चैनपुर के 7 पूर्व के लंबित एकरारनामों के अवशेष कार्य पूर्ण नहीं कराये गये और न ही एकरारनामा को विखंडित अथवा बंद करने की कार्रवाई की गई।

(iii) संवेदक मे० जय शिव कन्सट्रक्शन प्रा०लि० को अनुचित लाभ पहुँचाना।

(2) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त स्थिति निम्न रूप से पाई गई :–

आरोप सं॰–(i) – संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि अपरशंख जलाशय योजना के बायी नहर 0.20 कि॰मी॰ पर L.D. साईफन के Hume pipe लिकेज ठीक करने के गैर तकनीकी एवं अव्यावहारिक प्रयास आरोपी पदाधिकारी द्वारा किये गये, जिससे योजना का क्रियान्वयन सफल नहीं हो सका। स्पष्ट हे कि उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश की अनदेखी किये जाने के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी को इस हेतु दोषी माना है । अतएव यह आरोप प्रमाणित माना गया है।

आरोप सं॰– (ii) – संचालन पदाधिकारी ने इस आरोप को प्रमाणित नहीं माना है परन्तु विभागीय समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा एकरारनामा सं॰–4F2/2002-03 में मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता के आदेश के लगभग एक वर्ष बाद एकरारनामा विखंडित किया गया, जबकि चार एकरारनामा मुख्य अभियंता के आदेशोपरान्त भी बंद नहीं कराया गया। अतएव उच्चाधिकारियों के आदेश पर त्वरित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण आरोपी पदाधिकारी को आंशिक रूप से दोषी माना गया।

आरोप सं॰– (iii) – इस आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं माना गया है, परन्तु विभागीय समीक्षा के क्रम में आरोपी पदाधिकारी को संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिये जाने के लगभग एक वर्ष बाद संवेदक पर कार्रवाई की गई। संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई में टाल–मटोल एवं विलंब किये जाने के कारण संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए इस अरोप के लिये आरोपी पदाधिकारी को आंशिक रूप से दोषी माना गया।

अतएव, सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक– 3785 दिनांक–30.08.17 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई :–

पेंशन से 10% की कटौती 05 वर्षो तक।

P.T.O

3. श्री राय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में पाया गया कि इसमें कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. अतएव, द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार्य करते हुए विभागीय आदेश सं॰– 5387 दिनांक– 18.12.2017 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची दायर वाद सं॰– WP (S) 1134/2018 (सुरेश राय बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक– 14.02.2019 को पारित न्याय निर्णय का operative Part निम्नवत है –:

"Thus, the impugned order dated 18.12.2017 is set aside so is the second show cause notice dated-30.08.2017. The matter is remitted to the disciplinary authority to issue a fresh show cause notice giving reasons for his disagreement and proceed thereafter accordingly, strictly as per law."

5. अतएव, उक्त न्याय निर्णय के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया है :–

(i) श्री सुरेश राय (ID-2369) तत्कालीन कार्यपालक अभियता, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक– 3785 दिनांक– 30.08.2017 एवं अधिरोपित दण्डादेश ज्ञापांक –5387 दिनांक –18.12.2017 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

(ii) उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर असहमति के कारणों के साथ आरोपी पदाधिकारी से कारण पृच्छा कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

6. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 2824 / राँची, दिनांक 28/5/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव, (प्रबंधन) प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री सुरेश राय, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, गायत्री सुमित्रा पैलेस फ्लैट सं॰–401, आशियाना नगर राम नगरी, पोस्ट–अशियाना नगर पटना, बिहार, पिन–800025/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/05/19

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव